



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

Gyandeep Campus, Bargawan,
Namkum, Ranchi – 834010
Ph.: 0651-6453342, 6453343,
6453344, 6453345
ज्ञानदीप परिसर, बड़गावाँ,
नामकुम, राँची – 834010
फोन : 0651-6453342, 6453343,
6453344, 6453345
Website: www.jac.nic.in
Fax: 0651- 2261999

पत्रांक / Ref. JAC/P.T.T./1376/16-560/18 राँची, दिनांक / Date... 12-02-2018

प्रेषक,

सचिव
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

सेवा में,

प्राचार्य,
Madhusudan Mahto Teacher's Training
College, Vill.-Laudhia, Chakradharpur,
West Singhbhum- 833102 (Jharkhand)

विषय :- PTT (D.El.Ed) कोर्स के सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निदेशानुसार कहना है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, पूर्वी क्षेत्र भुवनेश्वर के पत्रांक ER-243.6.28/ID No.-9583/D.El.Ed./2017/54600 दिनांक 07.10.2017 के आलोक में परिषद् के निर्णयानुसार आपके महाविद्यालय को PTT (D.El.Ed) द्विवर्षीय पाठ्यक्रम संचालन हेतु Examinee Body के रूप में शिक्षा सत्र 2018-2019 से निम्नांकित शर्तों के अधीन औपबधिक रूप से परीक्षा आयोजन के निमित्त सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

(क) संबंधित संस्था विहित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण कार्य कर संचालित करेंगे।
(ख) सत्र प्रारम्भ के 06 माह के अन्दर नामांकित प्रशिक्षुओं की सूची जिसमें उनके पिता/पति का नाम स्थायी पता एवं जन्म तिथि की प्रविष्टि हो परिषद् कार्यालय में निश्चित रूप से जमा करेंगे।

(ग) कि महाविद्यालय में प्रशिक्षुओं का नामांकन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड/आरक्षण आदि के प्रावधानों के अन्तर्गत मेधाक्रम में ही किया जायेगा।

(घ) भविष्य में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एवं राज्य सरकार के नियम/विनियम द्वारा यथा निर्धारित किसी भी शर्त का पालन नहीं किये जाने एवं प्रतिकूल आदेश प्राप्त की स्थिति में यह सम्बद्धता रद्द कर दिया जायेगा एवं महाविद्यालय उस सत्र से प्रशिक्षुओं का नामांकन नहीं कर सकेगा।

अतः वर्णित स्थिति में शिक्षा सत्र 2018-2019 के प्रशिक्षुओं का नामांकन करते हुए नामांकित प्रशिक्षुओं की सूची छः माह के अंदर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को समर्पित करेंगे।

अनुलग्नक -

1. झारखण्ड सरकार, मा0सं0वि0 विभाग के पत्रांक 2479 दिनांक 19.10.2011
2. झारखण्ड सरकार, मा0सं0वि0 विभाग के पत्रांक 1382 दिनांक 20.05.2004

विश्वासभाजन


सचिव
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,
राँची

पत्रांक- 8/प04-07/2011-2479

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

डा० डी० के० सक्सेना,
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा,
झारखण्ड।

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय उप-शिक्षा निदेशक,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक- 19/10/11

विषय:- प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु न्यूनतम योग्यता के संबंध में।

महत्त्व,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना संख्या No. F.51/2009-NCTE(N&S), दिनांक 31.08.2009 द्वारा द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलेमेंट्री टीचर एडुकेशन (D.El.Ed.) कोर्स में नामांकन के लिए निर्धारित अर्हता निम्नवत् है:-

- Candidates with at least 50% marks in the senior secondary (+2) or its equivalent examination are eligible for admission.
- The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government/State Government, whichever is applicable. There shall be relaxation of 5% marks in favor of SC/ST/OBC and other categories of candidates.

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद् द्वारा द्विवर्षीय प्रशिक्षण कोर्स में नामांकन हेतु निर्धारित अर्हता के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या 1382, दिनांक 20.05.2004 में संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

तदनुसार, निदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में निर्णय संसूचित किये जाने तक प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के लिए चयन एवं नामांकन की प्रक्रिया स्थगित रखी जाये।

विश्वासभाजन



15/11/11
(डी० के० सक्सेना)
निदेशक, (प्रा० शि०)

14.10.11
21/10/11

5/10
21/10/11

योजना

21/10/11

पत्रांक : 01 / व 1-05 / 2004 1382

झारखण्ड सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

संक्र.सं.

विभाग : झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत अवस्थित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राजकीय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों / प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों / जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डापट) / शारीरिक शिक्षा संस्थानों (सी० पी० एड०, बी० पी० एड० सहित) तथा निजी एवं अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों (बी० एड०, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं शारीरिक शिक्षा सहित) में नामांकन प्रक्रिया का निर्धारण।

राज्य सरकार राज्य में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार एवं प्रसार हेतु कृतसंकल्प है तथा अन्य राज्यों की भांति शैक्षिक उन्नयन, विकास एवं प्रसार हेतु अनेक प्रभावी कदम उठाये गये हैं।

राज्य सरकार द्वारा पूर्व में राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन की प्रक्रिया के निर्धारण हेतु संक्र.सं. संख्या 6/व-1-217/2001-793 दिनांक 17.03.2003 के आलाोक में राज्य के चार राजकीय महाविद्यालय, राँची, देवघर, हजारीबाग एवं रा० महिला शि० प्र० महाविद्यालय, बरिखेत, राँची में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता के आधार पर शैक्षिक सत्र 2002-2003 के लिए प्रत्येक महाविद्यालयों में 100 छात्र / छात्राओं की नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मुंबई शहर (एन० सी० टी० ई०) द्वारा उनको पत्रांक जा० एच० ए० 10/एन०-7/2001/1924 दिनांक 24.09.2003 के द्वारा सूचित किया गया है कि एक बार मान्यता मिलने के बाद एन० सी० टी० ई० द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने की मान्यता आगे भी जारी रहेगी।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना संख्या फा० स० 9-10/2002 रा० अ० शि० 40 दिनांक 13.11.2002 एवं फा० फ० स० 48-6/2003 रा० अ० शि० 40 (एन एड एन) दिनांक 6.8.2003 को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के चारों ती० एड० प्रशिक्षण महाविद्यालयों में प्रशिक्षण हेतु नामांकन प्रारंभ के साथ ही राज्य में अवस्थित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राजकीय प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय / जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डापट) / शारीरिक शिक्षा संस्थानों (सी० पी० एड० / बी० पी० एड० सहित) तथा एन० सी० टी० ई० द्वारा मान्यता प्राप्त निजी एवं अल्पसंख्यक

10

10

द्वारा संचालित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों (बी० एड०, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं शारीरिक शिक्षा सहित) में नामांकन हेतु योग्यता, चयन प्रक्रिया, प्रसिद्धा, नामांकन शुल्क, पाठ्यक्रम, सीटों के बंटवारा की प्रक्रिया में एकरूपता बनाए देने की अपरिहार्यता के तहत राज्य सरकार ने चिन्तांकित निर्णय लिया है:-

नामांकन उपर्युक्त कंडिका 3 में अंकित प्रत्येक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में नामांकन पूर्णतः मेधा सूची के आधार पर होगा। यह मेधा सूची राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु प्रावधानित आरक्षण के अनुरूप समान्य / पिछड़ा वर्ग / अनु० जा० / अनु० जा० के लिए अलग-अलग तैयार की जाएगी। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / विभिन्न कोटि के पिछड़े वर्गों के आवेदकों को विहित प्रपत्र में संलग्न पदाधिकारी द्वारा निर्णय जाति प्रमाण पत्र (अतिप्रमाणित फोटो प्रति) संलग्न करना आवश्यक होगा; अन्यथा आरक्षण का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। महिला प्रशिक्षण महाविद्यालयों / संस्थानों में मात्र महिला उम्मीदवार ही नामांकन के पात्र होंगे।

2. चयन समिति:

क. राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में बी० एड० कोर्स में नामांकन हेतु चयन समिति निम्नवत् होगी:-

- (i) क्षेत्रीय उच्चशिक्षा निदेशक - अध्यक्ष
- (ii) प्राचार्य / प्राचार्या - संबन्धित राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय - संयोजक सदस्य
- (iii) संबन्धित जिला शिक्षा पदाधिकारी - सदस्य

ख. राजकीय प्राथमिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों (जिला प्रशिक्षण संस्थानों-डायरेट) में नामांकन हेतु चयन समिति निम्नवत् होगी:-

- (i) प्रिंसिपल अथवा निकटस्थ अवस्थित राजकीय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य / प्राचार्या - अध्यक्ष
- (ii) संबन्धित जिला शिक्षा अधीक्षक - सदस्य
- (iii) संबन्धित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राचार्य / प्राचार्या - संयोजक सदस्य

ग. निजी एवं अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों (बी० एड०, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं शारीरिक शिक्षा सहित) में सम्बन्धित महाविद्यालय की प्रबंध समिति एन. सी. टी. ई. द्वारा निर्धारित सीटों के विलम्ब राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप बनाई गई मेधा सूची के आधार पर नामांकन कर सकेगी।

(Handwritten signature)

(6)

47

अंक पास कोर - द्वितीय श्रेणी एवं उससे उपर 5 अंक

तांक - 60% से 65% तक - 1 अंक की वृद्धि

सांक - 65% से अधिक एवं 70 % तक 2 अंक की वृद्धि

प्तांक - 70% से अधिक एवं 75 % तक 3 अंक की वृद्धि

प्राप्तांक - 75% से अधिक एवं 80 % तक 4 अंक की वृद्धि

प्राप्तांक - 80% से अधिक 5 अंक की वृद्धि

कुल मिलाकर 10 अंक (5+5)

स्नातक प्रतिष्ठा - द्वितीय श्रेणी एवं उससे उपर 10 अंक

प्राप्तांक - 60% से 65% तक 1 अंक की वृद्धि

प्राप्तांक - 65% से अधिक एवं 70 % तक 2 अंक की वृद्धि

प्राप्तांक - 70% से अधिक एवं 75 % तक 3 अंक की वृद्धि

प्राप्तांक - 75% से अधिक एवं 80 % तक 4 अंक की वृद्धि

प्राप्तांक - 80% से अधिक 5 अंक की वृद्धि

कुल मिलाकर 15 अंक (10+5)

स्नातकोत्तर - द्वितीय श्रेणी एवं उससे उपर 5 अंक

प्राप्तांक - 60% से 65% तक 1 अंक की वृद्धि

प्राप्तांक - 65% से अधिक एवं 70 % तक 2 अंक की वृद्धि

प्राप्तांक - 70% से अधिक एवं 75 % तक 3 अंक की वृद्धि

प्राप्तांक - 75% से अधिक एवं 80 % तक 4 अंक की वृद्धि

प्राप्तांक - 80% से अधिक 5 अंक की वृद्धि

कुल मिलाकर 10 अंक (5+5)

प्रवेश हेतु कुल मेधांक - 45

एन0 सी0 सी0 - बी0 सर्टिफिकेट - 2 अंक

एन0 सी0 सी0 - सी0 सर्टिफिकेट - 3 अंक

खेलकूद में जिसमें राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो - 3 अंक

खेलकूद में जिसमें देश का प्रतिनिधित्व किया हो - 5 अंक

कुल मिला के 45 + 5 = 50 अंक

मि

कुल मंत्रांक समान रहने पर उच्चतर शैक्षणिक योग्यताधारिता के मापक के प्राथमिकता दी जाएगी। यदि अभी तक समाप्त हुए उन विद्यार्थियों के विषय पूर्व की हो उन्हें जन्म तिथि के आधार पर बंधन में प्राथमिकता दी जाएगी।

आवासीय कैंपल वे ही आवेदक प्रवेश पा सकते हैं जो

(i) वे झारखण्ड की भौगोलिक सीमा में पैदा हुए हो अथवा

(ii) वे

उनके पालकों (Parents) में से कोई

उनके पालकों (Parents) में से कोई जीवित न हो

अभिभावक (Parents) झारखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में निरन्तर

अधिकतम 15 वर्षों से रह रहे हों अथवा

उनके पालकों (Parents) में से कोई भी

झारखण्ड राज्य शासन में सेवारत हो या सेवा निवृत्त कर्मचारी हो अथवा

उनके पालकों (Parents) में से कोई भी भारत सरकार के कर्मचारी हो

और प्रतिनियुक्ति पर झारखण्ड राज्य में या झारखण्ड में स्थित भारत

सरकार द्वारा संचालित उपक्रमों/संस्थानों के कर्मचारी हो अथवा

(iii) वे स्वयं

उनके पालकों (Parents) में से कोई भी झारखण्ड राज्य की भौगोलिक

सीमा में पिछले 5 वर्षों से कोई अवलंबित्व/अयोग्य अवस्था में

रहते हों

(iv) अ) उनमें जिनमें शिक्षा झारखण्ड के विरही थी। शिक्षण संस्थान में कम से कम

7 वर्षों तक पढ़ाई की हो अथवा

यदि संस्थान में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मायता तथा

विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि निर्धारित की गई हो तो उच्चतर

माध्यमिक परीक्षा

(i) यदि संस्थान में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मायता

प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि निर्धारित की गई हो तो

उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में सतीर्णता प्राप्त की हो।

(ii) झारखण्ड की आपूर्ति अखिल भारतीय राज्या के अधिकारियों की

की श्रेणी एवं उनकी पत्नी/पति हैं।

- (iii) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित झारखण्ड के स्थानीय निवासी की परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले व्यक्ति की प्रत्नी/पति हो।
- (iv) आवेदक के पिता मूल निवासी की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं और यदि वह सैनिक सेवा के कारण झारखण्ड में पदस्थापित नहीं हो सका है तो वे आवेदन के योग्य होंगे भले ही उसने राज्य के किसी भी शिक्षण संस्थान में शिक्षा लब्धि प्राप्त की हो, यह सुविधा केवल सैनिक सेवा अधिकारियों/कांग्रेसियों को उपलब्ध होगी।
- (v) मृतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए संस्थानों में प्रवेश हेतु मूल निवासी प्रमाण पत्र में छूट अनुपलब्ध होगी।
- (vi) ऐसे अभ्यर्थी जो कश्मीर से आए हुए विस्थापित परिवारों के हों तथा जिनके पालकों (Parents) में से कोई भी झारखण्ड में शरणार्थी के रूप में पंजीकृत हो।
- (vii) झारखण्ड के माननीय सांसदों/पूर्व सांसदों/विधायकों/पूर्व विधायकों/पूर्व पार्षदों एवं बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य के पार्षदों के पुत्र/पुत्रियाँ हों।
- (viii) इन प्रशिक्षण महाविद्यालयों में नामांकन हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र उन्हीं आवेदकों को जारी किया जाएगा जो किराी राज्य के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र से अच्छादित हों।

उम्र सीमा

इन प्रशिक्षण महाविद्यालयों में नामांकन हेतु न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होगी। आयु की गणना प्रत्येक वर्ष 1ली जुलाई को की जाएगी। अर्थात् शैक्षणिक सत्र 2004-2005 के लिए उम्र 1ली जुलाई से 18 वर्ष होगी।

राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों (बी० एड०) एवं राजकीय प्राथमिक शिक्षक शिक्षण महाविद्यालयों में नामांकन शुल्क

नामांकन हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में संबंधित प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य के पदों पर भरा जाएगा। इसके साथ 100 रु० (एक सौ रुपये) सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 30 (तीस रु०) का शुल्क देया होगा। यह शुल्क बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आवेदन पत्र के साथ संबंधित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य के पदनाम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्थानीय प्रधान शाखा में भुगतान होगी। बैंक ड्राफ्ट के पीछे जारी कोने पर आवेदक का नाम अंकित होगा। आवेदन पत्र एवं प्रशिक्षण नियमावली सभाचार पत्रों के विज्ञापन के माध्यम से प्रकाशित किया तथा भरा हुआ आवेदन पत्र सभी अनुलग्नकों के साथ संयोजक के

(Handwritten signature)

9
 1. निर्धारित तिथि तक जमा होगा। ग्रामजिन के समग्र सामान्य कोटि के उम्मीदवारों से
 1,000 (तीन हजार रुपये) तथा 30 जाति/30 जन जाति के उम्मीदवारों से 1,000 (एक
 हजार) लिया जाएगा। इसी तरह परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरने के समग्र सामान्य कोटि
 के उम्मीदवारों से पुनः 1,500 (एक हजार पाँच सौ रुपये) लिए जाएंगे एवं एस टी/एस
 सी के उम्मीदवारों से 500 (पाँच सौ रुपये) लिये जाएंगे।
 इसके अतिरिक्त सत्री कोटि के नामांकित उम्मीदवारों से प्रतिमाह निम्नांकित शुल्क
 लिए जाएंगे।

1) छात्र कोष

(i) क्रीडा	100.00 (प्रति माह)
(ii) कामना सेम	100.00 (प्रति माह)
(iii) विद्युत, इन्तार एवं अन्य व्यय	100.00 (प्रति माह)
(ख) शिक्षण शुल्क	500.00 (पाँच सौ रुपये)

(ग) महाविद्यालय विकास कोष 1,000.00 (प्रतिमाह अवधि में एक बार)

नामांकित उम्मीदवारों से प्राप्ता राशि संबंधित महाविद्यालयों/डाप्ट के प्राचार्य/
 प्राचार्य के पदनाम से खींचते में जमा रहेगी तथा जिन भदों के लिए राशि ली जा रही
 है उसी भद में व्यय नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार किया जायेगा। विकास कोष एवं
 छात्र कोष की राशि को व्यय के लिए महाविद्यालय में एक प्रत्यक्ष राशित्ति निम्न समेष-

- प्राचार्य/प्राचार्य - अध्यापक
- संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षक - सदस्य
- वरियतम व्याख्याता - सदस्य
- प्रशिक्षणार्थी प्रतिनिधि - सदस्य

प्रवेश शुल्क एवं मासिक शिक्षण शुल्क की राशि चलान द्वारा 2202 सामान्य शिरा
 के अन्तर्गत कोषागार में प्राचार्य के द्वारा प्रतिमाह जमा की जाएगी।
 सभी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु एन० सी० टी० ६० द्वारा प्रकृता प्राप्त निजी
 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में शैक्षणिक शुल्क तथा जमा शुल्क का निर्धारण का काग
 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार राज्य के निजी ताकनीकी संस्थानों में विज्ञान



